

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 71/2015

संस्थित दिनांक-13/02/2015

फाईलिंग नंबर-230303009402012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर भिण्ड (म0प्र0)

अभियोजन

वि रु द्ध

भूरा उर्फ रवि पुत्र श्री तातीराम मिर्धा, उम्र 28 साल
निवासी पिपरौली थाना गोहद जिला भिण्ड

.....आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपी द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता

-::-- दोषमुक्ति आ दे श -::--

(अंतर्गत धारा-232 द0प्र0सं0 1973)

(आज दिनांक 28/07/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त भूरा के विरुद्ध धारा 393 भा0द0वि0, सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 15/05/2012 के सुबह करीब 7 बजे पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड क्षेत्र के अंतर्गत हॉटलाइन फैक्ट्री के सामने आम रास्ते पर फरियादी सतेन्द्र सिंह चौहान की जेब में रखे पैसे लूटने का प्रयास डकैती प्रभावित क्षेत्र में किया।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 12/05/2012 को हॉटलाइन फैक्ट्री के सामने अंतर्गत थाना मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी सतेन्द्र सिंह चौहान ने थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की कि दि0-15/05/2012 को फरियादी सतेन्द्रसिंह सुबह करीब 7 बजे भिण्ड से ग्वालियर की तरफ जा रहा था, तभी हॉटलाइन फैक्ट्री के सामने भूरा मिर्धा निवासी पिपरौली ने उसकी मोटर साइकिल रोककर फरियादी की जेब में रखे पैसे लूटने

का प्रयास किया। उसी समय फरियादी का एक परिचित मोटर साइकिल से आ गया जिसे देखकर आरोपी लहचूरा की तरफ भाग गया।

4. फरियादी सतेन्द्रसिंह की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध अप.क्र.-63/12 धारा-393 भा.द.वि. एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका व आरोपी की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन इत्यादि की कार्यवाही उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त भूरा मिर्धा पर 393 भा.द.वि. सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा.फौ. के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया। विचारण किया गया। मामले में विचाराधीन आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव का बिन्दु विद्यमान हो जाने से और अभियोजन की साक्ष्य लेने, विचाराधीन आरोपी का धारा-313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षा करने और उन्हें सुनने के पश्चात इस न्यायालय का ऐसा विचार है कि मामले में आरोपी के विरुद्ध संबद्ध विषय के बारे में साक्ष्य नहीं आयी है, इसलिये धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के तहत यह दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जा रहा है।
6. परीक्षित साक्षियों में से नवाब सिंह अ.सा.-1 के द्वारा पक्ष विरोधी होते हुए अभियोजन का विचाराधीन आरोप के संबंध में कोई भी समर्थन नहीं किया गया है तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्षी मनोज कुशवाह और सतेन्द्र सिंह चौहान को अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असफल रहा है। केवल घटना के विवेचक विनोद विनायक करकरे, निरीक्षक अ.सा.-2 का ही अभिसाक्ष्य हुई जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में दि.12/5/12 को थाना प्रभारी मालनपुर के पद पर रहते हुए फरियादी सतेन्द्र सिंह चौहान के द्वारा की गयी रिपोर्ट पर से आरोपी भूरा उर्फ रवि मिर्धा के विरुद्ध लूट के प्रयत्न की रिपोर्ट करने पर प्रदर्श पी.-2 की एफ आई आर कायम करते हुए अप.क्र.-63/12 धारा-393 भा.द.वि. एवं 11/13 डकैती अधिनियम के तहत पंजीबद्ध करना और विवेचना में फरियादी सतेन्द्र की निशादेही पर प्र.पी.-3 का नक्शामौका तैयार करना, फरियादी सतेन्द्रसिंह व साक्षी मनोज कुशवाह व नवाबसिंह के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करते हुए उनके आधार पर आरोपी को उक्त अपराध में प्र.पी.-4 मुताबिक गिरफ्तारी करने हेतु विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र तैयार करने की साक्ष्य दी है। पैरा-3 में उसने यह भी स्वीकार किया कि एफ आई आर में फरियादी ने कितने रुपये उससे छीने गये ऐसा नहीं बताया था। और घटना के समय फरियादी किस नंबर की मोटरसाइकिल चला रहा था, यह भी नहीं बताया था। विचाराधीन अपराध में आरोपी से कोई हथियार की जब्ती नहीं हुई, बल्कि यह कहा है कि कटटा अन्य अपराध में जब्त है।

7. इस तरह से अ.सा.-2 की साक्ष्य का तब तक कोई महत्व नहीं है, जब तक कि स्वयं फरियादी सतेन्द्रसिंह द्वारा उसका समर्थन नहीं किया जाये, जबकि प्रकरण में अभियोजन को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद सतेन्द्रसिंह चौहान को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में साक्ष्य अभाव में विचाराधीन आरोप कतई प्रमाणित नहीं हो सकता है और मामला अ.सा.-2 की अभिसाक्ष्य के आधार पर कतई प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसलिये साक्ष्य अभाव को देखते हुए विचाराधीन आरोपी रवि उर्फ भूरा मिर्धा को धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत विरचित आरोप धारा-393 भा.द.वि.सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.बि.पी.के. एक्ट 1981 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
8. आरोपी भूरा उर्फ रवि के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. प्रकरण में निराकरण के लिए संपत्ति जब्त नहीं है।
10. आरोपी का धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र बनाया जावे।
11. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक-28/07/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उप)